आदेश

दिनांकः 18.05.2018

18/05/18

आज यह पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श दूंढा पर पेश हुई। प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी तहसीलदार, बाड़मेर का कथन है कि ग्राम चकलानी में स्थित खसरा संख्या 87/30 रकबा 32.04 बीघा भूमि किस्म बा0दो0 अप्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित है। खातेदारान द्वारा उक्त भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग लेकर अवैध रूप से जिप्सम खनन का कार्य किया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के खातेदारान के खातेदारी अधिकार सदैव के लिए समाप्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण को प्रकरण की सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिया गया। खातेदारान ने आदिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है। तहसीलदार, बाड़मेर से उक्त प्रकरण में मौका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं राजस्व अभिलेख की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत किये जाने के निर्देश जारी किये गये। इस प्रकरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" 2018 के दौरान आयोजित शिविर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श दूंढा के दौरान विवादित आराजी भूमि नवीन ग्राम चकलानी में स्थित खसरा संख्या 87/30 रकबा 32.04 बीघा किस्म बा0दो0 का मौका निरीक्षण

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

भू.अ. निरीक्षक कवास के साथ किया गया। मौके पर उक्त आराजी भूमि में झाडिया खडी है तथा जिप्सम का अवैध खनन होना पाया गया है।

मौका प्रतिवेदन पृथक से बनाया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादग्रस्त भूमि में जिप्सम खोदने के खड्डे (निशानात) पाये गये। इससे प्रकट है कि वादग्रस्त भूमि के खातेदारान द्वारा अवैध रूप से बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये कृषि भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग करना पाया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं मौका निरीक्षण से स्पष्ट है कि ग्राम चकलानी में स्थित खसरा संख्या 87/30 रकबा 32.04 बीघा किस्म बा0दो0 भूमि के खातेदारान द्वारा कृषि सें भिन्न प्रयोजनार्थ अवैध रूप से जिप्सम खनन के लिए उपयोग किया जाना पाया गया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लघंन है। दिनांक 27.03.2018 को आयोजित सुरक्षा सम्बन्धी बैठक में भी वायुसेना के अधिकारी द्वारा अवगत करवाया कि वायु सेना की सीमा के आस–पास पूरी रात जिप्सम का अवैध खनन होता है। कई बार उक्त खनन वायुसेना की सीमा के समीप तक पहुच जाता है। ऐसी स्थिति में हवाई अड्डे की सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम चकलानी में स्थित खसरा संख्या 87/30 रकबा 32.04 बीघा किस्म बा0दो0 के खातेदारान के खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 177 के तहत सदैव के लिए समाप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, बाड़मेर को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर समस्त राजस्व अभिलेख तदानुसार राज्य पक्ष में अंकन सुनिश्चित करावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

नह कार्यो
427
18.5.18

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बाड़मेर

Scanned by CamScanner